प्रकरण संख्या 55/2018 श्रीमती धापू बनाम रंगलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गढ़बोर में वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ (1), परिशिष्ठ (2), परिशिष्ठ (3) व परिशिष्ठ (4) की भूमियां स्थित हैं, जिसमें अंकित हिस्सेनुसार पक्षकारान का हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने से काफी परेशानियां होती हैं। अतः वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ (1), परिशिष्ठ (2), परिशिष्ठ (3) व परिशिष्ठ (4) का उसमें अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.09.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री डी. डी. देवपुरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री उसे बिना सुने पारित की गयी है, जिसकी जानकारी होते ही उक्त निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 17.09.2018 को प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।	

प्रकरण संख्या 55/2018 श्रीमती धापू बनाम रंगलाल व अन्य

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा कण्डोन की अवधि का कोई जिक्र नहीं किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टग को थी, इसके बावजूद भी अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.11.2017 नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 14.07.2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय को प्रारम्भिक डिक्री की पालना में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करना था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को बिना सुने वादी के पक्ष में अच्छी भूमियां रख अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा माफिक प्रारम्भिक डिक्री राजीनामा दिनांक 11.02.2017 अनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रकरण संख्या 55/2018 श्रीमती धापू बनाम रंगलाल व अन्य

दिनांक 29.02.2017 को प्रकरण में 02.11.2017 की पेशी नियत की गयी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 14.07.2017 को मात्र वादी की उपस्थिति में प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 55/2018 श्रीमती धापू बनाम रंगलाल व अन्य